

नगर परिषद, श्री गंगानगर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SHRI GANGANAGAR/FIRENOC/2025-26/53160
जारी दिनांक: 24-JUN-2025 वैधता दिनांक: 23-JUN-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SHER LAKHBIR SINGH
आवेदक का पता: C 22 PREM NAGAR SRI GANGANAGAR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन FLORADALE PUBLIC SCHOOL, VIDYA DEEP VIHAR, OPPOSITE RADHA SWAMI DERA, SURATGARH PADAMPUR BYPASS, , SRI GANGANAGAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
2. फायर वाहन आसानी से आ जा सकें इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
3. भवन के अन्दर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
4. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदन स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
6. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से वैधता दिनांक तक की अवधि हेतु ही मान्य होगा वैधता दिनांक बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
7. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्चोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
8. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल करवाना होगा।
9. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
10. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जायेगा।
11. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख-रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
12. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
13. अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करवाना होगा अन्यथा भौतिक सत्यापन के अभाव में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र रूफटॉप रेस्टोरेन्ट के लिये मान्य नहीं है जिस भाग के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
15. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।



Will preet Kar
Principal
Floradale Public School
Sri Ganganagar (Raj.)

[Signature]
फ्लोराडेल पब्लिक स्कूल समिति
अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, श्री गंगानगर
सचिव

Signed by: Ravinder Singh
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: SHRI GANGANAGAR, Rajasthan
Date: 24/06/2025 10:22:18